भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 529

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

'जल संचय जन भागीदारी' पहल

529. श्री राजू बिष्टः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) समुदाय संचालित जल सततता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'जल संचय जन भागीदारी' पहल का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह देश में समग्र जल संरक्षण प्रयासों में किस प्रकार योगदान देता है;

(ग) सरकार किस तरह से इस पहल को जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना और मनरेगा जैसे मौजूदा कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करने की योजना बना रही है;

(घ) इस पहल के तहत नियोजित वर्षा जल संचयन संरचनाओं की संख्या कितनी है और कलिम्पोंग, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों में जल संकट पर उनके अपेक्षित प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश भर में संधारणीय जल प्रबंधन प्रचलनों को प्राप्त करने में जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच सहयोग किस प्रकार मदद करता है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): सूरत में दिनांक 6 सितंबर 2024 को शुरू की गई "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान का हिस्सा है। यह पहल जल संरक्षण में जन भागीदारी (सामुदायिक भागीदारी) के महत्व पर जोर देती है और इसमें सरकारी निकायों, उद्योगों, स्थानीय प्राधिकरणों, परोपकारियों, निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) और व्यक्ति विशेष सहित सभी हितधारकों से संयुक्त कार्रवाई के लिए एक शपथ शामिल है, जिसका उद्देश्य भंडारण क्षमता बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण बढ़ाने में मददगार अन्य गतिविधियों के साथ-साथ कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं / बोरवेल रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

जल संचय जन भागीदारी पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समग्र समाज और समग्र सरकार इस दृष्टिकोण का पालन करते हुए सामूहिक प्रयासों के माध्यम से जल की हर बूंद

को संरक्षित किया जाए। इसका उद्देश्य सामुदायिक स्वामित्व और जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर इस पहल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जल चुनौतियों के अनुरूप एक लागत प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित करना है।

(ग): जेएसजेबी पहल को जेएसए: सीटीआर अभियान के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया है, जिसमें देश भर में कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रतिपूरक वनीकरण निधि (कैम्पा), वित्त आयोग अनुदान आदि जैसी सरकारी योजनाओं और सीएसआर अंशदान, व्यक्तिगत दान आदि जैसे निजी वित्त पोषण, दोनों संसाधनों का लाभ उठाते हुए इस पहल को लागू करने के लिए एक संमिलित दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह संमिलित वित्त पोषण (कन्वर्जेंट फंडिंग) तालमेल सुनिश्चित करती है और प्रभाव को अधिकता प्रदान करती है।

(घ): इस पहल का केंद्रीय लक्ष्य कम से कम 1 मिलियन कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना है, जिसमें भूजल स्तर को बढ़ाने और कलिम्पोंग, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों सहित पूरे देश में स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बोरवेल रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान देना है। पुनर्भरण संरचनाएं भूजल की उपलब्धता को बढ़ाती हैं, विशेष रूप से सूखे की अवधि के दौरान, कृषि, पेयजल की दृष्टि से सहायक रहती हैं जिससे पानी की कमी का निवारण किया जा सके। इसके अलावा, इन संरचनाओं के कार्यान्वयन से स्थायी भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देकर, सूखे के खतरे को कम करके और विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों में जल संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करके दीर्घकालिक जलवायु लचीलेपन में योगदान प्राप्त होता है।

(ङ): चूंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए स्थायी जल प्रबंधन के लिए जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच सहयोग आवश्यक है। जल शक्ति मंत्रालय सर्वोत्तम प्रथाओं के दोहराने के साथ-साथ तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गुजरात के जल संचय मॉडल से प्रेरित जेएसजेबी पहल, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समान उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए इस साझेदारी के लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत करती है, जिससे जल संरक्षण के कार्य में राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूती प्राप्त होती है।

******